



सराहनीय कार्य, जनपद –जालौन

दिनांक – 13.09.2023

थाना एट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगणों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 20/06/2023 को शिकायतकर्ता चन्द्र कुमार व कृपाराम निवासी ग्राम जखौली द्वारा थाना एट में लिखित सूचना देते हुये अवगत कराया गया था कि दिनांक 19-20/06/2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा प्रार्थीगण के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व रूपये चोरी कर लिये गये जिसके संबन्ध में थाना एट पर मु0अ0स0 95/2023 धारा 380/457 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 12.09.2023 को थाना एट पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना मे शामिल अभियुक्तों को ग्राम ईगुई खुर्द नहर पुलिया के पास हाईवे से गिरफ्तार किया गया, तथा कब्जे से सोने चांदी के जेवरात व 11,500/- रूपये वरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त कमल द्वारा बताया कि दिनांक 19-20/06/2023 की रात्रि में हम लोगों ने ग्राम जखौली में 02 घरों में चोरी की थी आज चोरी के माल को बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है।

बरामदगी का विवरण:- 1- 02 जोड़ी कान की बाली सोने की 2- 04 अदद नाक की कील सोने की 3- 03 जोड़ी पायल चांदी के 4- 05 जोड़ी विछिया चांदी के 5- 11,500/- रूपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. कमल सिंह कुशवाहा पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम जयसारीपुर थाना डकोर जनपद जालौन।
2. अशोक पुत्र शंकर दयाल निवासी चंद्ररसी थाना कदौरा जनपद जालौन हाल पता जयसारी कला थाना डकोर जिला जालौन।

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0-87/2000 457/380 भादवि कोंच
- 2- मु0अ0सं0-214/2000 धारा 307 भादवि कोंच
- 3- मु0अ0सं0-215/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट कोंच
- 4- मु0अ0सं0-813/2000 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) कोतवाली उरई
- 5- मु0अ0सं0-814/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली उरई
- 6- मु0अ0सं0- 806/2003 धारा 379/411 भादवि कोतवाली उरई
- 7- मु0अ0सं0-916/2004 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) कोतवाली उरई
- 8- मु0अ0सं0- 918/2004 धारा 323/504/506भादवि कोतवाली उरई